

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID- rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक- राजस्थान खेल अनुदान राशि / AS&FE / 478 / Sports Grant दिशा-निर्देश / 2023-24 / 1840

दिनांक- 13/6/2023

स्पोर्ट्स ग्रान्ट दिशा-निर्देश 2023-24 (खेले भारत - खिले भारत)

खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा इससे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायता मिलती है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है" इसलिये शारीरिक विकास के लिए व्यायाम जरूरी है, जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। खेल से पारस्परिक सौहार्द व टीम भावना जागृत होती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि खेल और शिक्षा दोनों को ही बराबर का महत्व दिया जाये।

बच्चों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए समग्र शिक्षा वर्ष 2023-24 में 'खेले भारत-खिले भारत' के तहत डाइस 2021-22 के अनुसार प्रारम्भिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, के लिये स्पोर्ट्स ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों DO No. 17-3/2018-IS-5(Pt.1) दिनांक 24 दिसंबर, 2018 के अनुसरण में इस राशि का उपयोग किया जाना है; के जारी विस्तृत निर्देश संलग्न हैं, जिनके अनुसार कार्यवाही की जानी है।

प्रावधित राशि -

डाइस 2021-22 के अनुसार विद्यालय की श्रेणी अनुसार प्रावधित राशि			
विद्यालय	संख्या	यूनिट कॉस्ट	कुल राशि लाखों में
Primary School	33554	5,000/-	1677.70000
Upper Primary School	19451	10,000/-	1945.10000
Secondary School	3741	25,000/-	935.25000
Sr. Secondary School	11798	25,000/-	2949.50000
Total	68544		7507.55000

1. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में निम्नलिखित खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री का क्रय प्राधिकरण के साथ किया जाए -

क्र.स.	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिये	शहरी क्षेत्र की विद्यालयों के लिये
1	कबड्डी	कबड्डी
2	टेनिस बॉल क्रिकेट	टेनिस बॉल क्रिकेट
3	वालीबॉल	वालीबॉल
4	फुटबॉल	फुटबॉल
5	खो-खो	खो-खो
6	शूटिंगबॉल	बास्केटबॉल
7	रस्साकशी	एथलेटिक्स

2. खेल अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश:-

- विद्यालयों द्वारा खेल अनुदान राशि का उपयोग आयु अनुरूप खेल सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने में किया जाना है।
- एसएमसी/एसडीएमसी विद्यालयों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उपयोगिता अनुसार ही खेल सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

5/2

- जो खेल सामग्री सही हालत में उपलब्ध है, उसे पुनः क्रय नहीं करें।
- सूची की खेल सामग्री के अतिरिक्त विद्यालय में खेल सुविधाओं की उपलब्धता अनुसार विद्यालय एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी अन्य खेल सामग्री भी क्रय की जा सकेगी।
- सूची में उल्लेखित खेल सामग्री से पृथक् खेल सामग्री क्रय करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी को स्वीकृति आदेश जारी करना होगा।
- विद्यालयों में क्षेत्रीय एवं परम्परागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल सामग्री एवं उपकरणों को क्रय भी किया जा सकेगा।
- निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में आयोजित होने वाले खेलों की खेल सामग्री को क्रय किये जाने हेतु खेल अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
- खेल अनुदान राशि द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
- स्टॉक रजिस्टर में क्रियाशील सामग्री, मरम्मत योग्य सामग्री एवं खारिज योग्य सामग्री नाम से तीन श्रेणियों में खेल सामग्री/उपकरणों का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
- नवीन खेल सामग्री/उपकरण इस प्रकार क्रय की जायेगी, जिससे विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण का आवश्यक स्टॉक सदैव उपलब्ध रहे।
- विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/ खेल प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा खेल सामग्री/उपकरणों एवं खेल सहायक सामग्री का रख-रखाव किया जायेगा।
- राशि व्यय/उपयोग के उपरान्त अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को प्रेषित किये जायें।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री / उपकरणों की सूची (कक्षा 1 से 5) (प्रावधित 5,000/-)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (₹)	संख्या	कुल लागत (₹)
प्लास्टिक क्रिकेट बॉल- साईज 2	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1-2	160	2	320
लकड़ी का क्रिकेट बैट - आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1-2	250	1	250
क्रिकेट स्टॉच सेट	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1-2	380	1	380
सॉफ्ट बॉल (छोटी)	छोटे बच्चों के लिए फेंकना और पकड़ना, ड्रिब्लिंग, किकिंग कौशल सिखाना	कक्षा 1-2	99	1	99
टेनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने जैसे कौशल का निर्माण करता है	कक्षा 1-2	45	4	180
प्लास्टिक बॉल	प्लास्टिक बॉल का उपयोग ज्यादातर प्रहार करने वाले खेलों में इस्तेमाल किया जाता है और हाथ से औच्च का समन्वय विकसित करना	कक्षा 1-2	10	10	100
पीपू हैण्ड स्टिच फुटबॉल- आकार 3	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 1-2	300	1	300
बास्केट बॉल	बास्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 1-2	205	1	205
रखी सॉफ्ट बॉल	छोटे बच्चों के लिए हाथ से औच्च का समन्वय विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है	कक्षा 1-2	135	1	135
फ्रिक्झी	प्लास्टिक की स्लेट की आकृति का खिलौना, जो फैक कर खेला जाता है। मनोरंजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से औच्च का समन्वय विकसित करना	कक्षा 1-2	75	1	75
मल्टी कलर्ड बूला सूप्त	फिटनेस और समन्वय विकसित करना	कक्षा 1-2	110	3	330
रोसर कोन	सभी खेल कुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि के लिए ग्राउंड मार्किंग का अच्छा विकल्प है।	कक्षा 1-2	10	10	100
बीन बैग्स	जुगाली करना, उछालना, पकड़ना, फेंकना आदि गतिविधियाँ	कक्षा 1-2	30	4	120
बीन बैग्स -स्कॉर्फ	जुगाली करना, उछालना, पकड़ना आदि गतिविधियाँ	कक्षा 1-2	32	5	160
6" स्टेप हॉल	फुटी और कूदने/चढ़ाने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है	कक्षा 1-2	65	3	195
12 फीट पैराशूट	बच्चों की भुजाओं की नज़बूती, समन्वय तथा स्पेस की जानकारी के लिए	कक्षा 1-2	550	1	550
फूट एम्प बॉस्केट बॉल- आकार 3	फूटबॉल, बॉस्केट बॉल आदि का दाखोग करने के लिए	कक्षा 1-2	640	1	640

SMR 2

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (₹)	संख्या	कुल लागत (₹)
	प्रेरित करना				
शॉट पृष्ठ (खड़)	शॉट पृष्ठ के लिए उपयोग	कक्षा 3-5	330	1	330
डिस्कस (खड़)	डिस्कस थो के लिए उपयोग	कक्षा 3-5	330	1	330
फोम जैवलीन	बच्चों को जैवलीन फक्ने की सही तकनीकि सिखाने के लिए	कक्षा 3-5	150	1	150
	कुल				4949

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री / उपकरणों की सूची (कक्षा 6-8) (प्रावधित 10,000/-)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (₹)	संख्या	कुल लागत (₹)
शॉट पृष्ठ (खड़)	शॉट पृष्ठ के लिए उपयोग	कक्षा 6-8	330	1	330
डिस्कस (खड़)	डिस्कस थो के लिए उपयोग	कक्षा 6-8	330	1	330
स्किपिंग रोप	स्किपिंग रोप में उपयोग	कक्षा 6-8	100	5	500
लकड़ी का क्रिकेट बैट - आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 6-8	265	2	530
टेनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने के लिए उपयोग	कक्षा 6-8	45	6	270
पीयू वॉलीबॉल - आकार 4	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 6-8	320	2	640
वॉलीबॉल नेट	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 6-8	500	1	500
हैण्डबॉल -आकार 1 (50-52 सेमी)	हैण्डबॉल में उपयोग	कक्षा 6-8	390	2	780
ओ बॉल	बॉलों में उपयोग	कक्षा 6-8	375	2	750
रम्बो बॉल	हाथ से ओँच का समन्वय विकसित करने के लिए उपयोग	कक्षा 6-8	260	1	260
बॉस्केट बॉल	बॉस्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 6-8	370	1	370
पीयू हैण्ड रिट्रैट फुटबॉल - आकार 4	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 6-8	425	2	850
प्रिज्वी	प्लास्टिक की प्लेट की आकृति का खिलौना, जो फैक कर खेला जाता है। गोनोरेजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से ओँच का समन्वय विकसित करना	कक्षा 6-8	75	2	150
फुटी / चपलता की टोडी	फुटी / चपलता हेतु उपयोग	कक्षा 6-8	240	1	240
6" स्टेप हर्डल	फुटी और कूदने / उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमोटरर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 6-8	65	2	130
9" स्टेप हर्डल	फुटी और कूदने / उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमोटरर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 6-8	74	3	222
मार्किंग कॉन 1 से 9 नंबर्स के साथ	बाउन्ड्रिंग को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना	कक्षा 6-8	32	9	288
मार्किंग कॉन 12"	बाउन्ड्रिंग को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना	कक्षा 6-8	44	4	176
सीसार कॉन	सभी खेल फुटबॉल, बॉस्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि के लिए ग्राउंड मार्किंग का अच्छा विकल्प है।	कक्षा 6-8	10	20	200
नायलोन बिब्स ग्रीन	नायलोन बिब्स में पक्ष लोचदार होते हैं और विभिन्न आयु समूहों में उपयोग किए जा सकते हैं। नेच खेलने के दौरान टीमों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है	कक्षा 6-8	50	11	550
फुट पम्प बॉस्केट बॉल- आकार 3	फुटबॉल, बॉस्केट बॉल आदि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना	कक्षा 6-8	640	1	640
फास्ट एड किट	छोटी चोटी हेतु	कक्षा 6-8	1294	1	1294
	कुल				10,000

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री / उपकरणों की सूची (कक्षा 9 से 12) (प्रावधित 25,000/-)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (₹)	संख्या	कुल लागत (₹)
स्किपिंग रोप	स्किपिंग रोप में उपयोग	कक्षा 9-12	100	6	600
शॉट पृष्ठ (खड़)	शॉट पृष्ठ के लिए उपयोग	कक्षा 9-12	330	4	1320
डिस्कस (खड़)	डिस्कस थो के लिए उपयोग	कक्षा 9-12	330	4	1320
बेहॉमेटन रैकेट	बेहॉमेटन में उपयोग हेतु। बेहॉमेटन स्कील व हाथ से ओँच का समन्वय विकसित करना	कक्षा 9-12	500	6	3000
बेहॉमेटन शटल	बेहॉमेटन में उपयोग हेतु	कक्षा 9-12	30	20	600
लकड़ी का क्रिकेट बैट - आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 9-12	265	4	1060
टेनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने के लिए उपयोग	कक्षा 9-12	45	20	900
ओ बॉल	ओबॉल में उपयोग				375
पीयू वॉलीबॉल - आकार 4	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 9-12	320	3	960
वॉलीबॉल नेट	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 9-12	500	1	500
हैण्डबॉल -आकार 1 (50-52 सेमी)	हैण्डबॉल में उपयोग	कक्षा 9-12	390	2	780

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (₹)	संख्या	कुल लागत (₹)
बास्केट बॉल	बास्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 9-12	370	2	740
रन्धी बॉल	हाथ से आंख का समन्वय विकसित करने के लिए उपयोग	कक्षा 9-12	260	2	520
पीयू हैंड रिटर्न फुटबॉल -आकार 5	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 9-12	425	4	1700
पोप अप फूटबॉल गोल्स पोस्ट विंग	पोर्टबल पुटबॉल गोल्स पोस्ट फॉर्म स्मॉल साइडल गेम्स	कक्षा 9-12	625	2	1250
फुटबॉल गोल्स पोस्ट 6ft. x 3.5ft.	पोर्टबल फुटबॉल गोल्स पोस्ट फॉर्म स्मॉल साइडल गेम्स विंग	कक्षा 9-12	1600	2	3200
फुट फ्ल्यू	फुटबॉल, बॉस्केट बॉल आदि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना	कक्षा 9-12	640	2	1280
फर्स्ट एड किट	छोटी छोटी हेतु	कक्षा 9-12	1300	1	1300
प्रिज़्वी	प्लास्टिक की प्लेट की आकृति का खिलौना, जो फैक कर खेला जाता है। नगोरजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से आंख का समन्वय विकसित करना	कक्षा 9-12	75	2	150
सोसार कोन	सभी खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी आदि के लिए चाउड मार्किंग का अवश्य विकल्प है।	कक्षा 9-12	10	40	400
फुटी / चपलता की सीढ़ी	फुटी / चपलता हेतु उपयोग	कक्षा 9-12	240	2	480
9" स्टेप हर्डल	फुटी और कूदने / उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एवं लोकोमोटरर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 9-12	74	6	444
12" स्टेप हर्डल	फुटी और कूदने / उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमोटरर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 9-12	80	6	480
रिलेय बेटोन्स	रिलेय दोड में उपयोग		74	3	222
मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर्स के साथ	बाउन्ड्रिंगों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना		32	9	288
मार्किंग कोन 12"	बाउन्ड्रिंगों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना		44	4	176
नायलॉन बिबर्स ग्रीन	नायलॉन बिब में पक्के लोचवार होते हैं और दिमिन बायू सगूहों में उपयोग किए जा सकते हैं। मैत्र खेलने के दौरान टाँगों को पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।		50	11	550
कुल					24970

3. कक्षा अनुसार सुझावात्मक खेल गतिविधियाँ:-

:: प्राथमिक वर्ग ::

I- खेल गतिविधि अनुसार कौशल विकास -

- हस्त कौशल (कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग आदि)
- लोकोमोटर कौशल (रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलपिंग आदि)
- शारीर प्रबंधन कौशल (बैलेंस और स्थिरता)

II- आनंद दायक खेल -

- बॉल बैडमिंटन, हैंडबॉल, हॉकी, कराटे, कुश्ती, किक बॉक्सिंग, योग।
- व्यक्तिगत खेल (जैसे- स्केटिंग, रस्सी स्किपिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, किक-बॉक्सिंग)
- सामुहिक खेल
 - आक्रमण के खेल (जैसे- बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल)
 - रैली गेम्स (जैसे- टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बॉलीबॉल)
 - इनिंग गेम्स (जैसे- क्रिकेट, खो-खो, राउंडर्स, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, स्टूलबॉल)
 - पारंपरिक भारतीय खेल
 - ओलंपिक में शामिल खेल
 - योग (आसन, प्राणायाम)
 - पैराओलंपिक में शामिल खेल

III- पारम्परिक भारतीय स्वदेशी खेल -

- कबड्डी
- घेरा रोलिंग (घेरा/टायर रोलिंग)
- पिट्टू
- बोरा दौड़
- खो-खो
- आंख मिचौली
- रस्साकशी
- कन्चे (कोडी)

IV- अन्य क्षेत्रीय खेल -

- अट्या पट्या
- कैरम
- मलखंब
- सॉफ्ट टेनिस
- योगा
- लंगड़ी
- जूडो
- रोलर स्केटिंग
- स्क्वॉश
- लूडो
- सितोलिया
- खो-खो
- शूटिंग बॉल
- रस्साकशी

मुख्यधारा के खेल (एथेलेटिक्स के अलावा, जिमनास्टिक्स, तैराकी) को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात्

प्रादेशिक, नेट / वॉल गेम एवं क्षेत्ररक्षक में विभाजित किया जा सकता है।

V- प्रादेशिक खेल -

प्रादेशिक खेल वे हैं, जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक खेलने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लक्ष्य एक प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को स्कोर करने के लिए आक्रमण करना है। स्कोरिंग एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रोजेक्टिंग एवं ऑब्जेक्ट (जैसे एक गेंद) द्वारा हासिल की जाती है, गेंद को लक्ष्य क्षेत्र में सटीक रूप से शूट किया जाता है या गेंद को एक खुले सिरे वाले लक्ष्य (जैसे एक रेखा के पार) में स्थानांतरित किया जाता है। जो निम्न हैं-

- बास्केटबॉल
- हॉकी
- हैंडबाल
- नेटबॉल
- फुटबॉल

VI- नेट/ वॉल गेम -

नेट/ वॉल गेम वे हैं जिनमें दो खिलाड़ी/ टीम एक क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें नेट को निर्धारित ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रतिद्वंद्वी एक सफल वापसी करने में असमर्थ होता है तो दूसरे दल को स्कोर प्राप्त होता है, जो निम्न है :-

- बैडमिंटन
- टेनिस
- टेबल टेनिस
- वॉलीबॉल
- स्वचौश

VII- क्षेत्र-रक्षण खेल -

क्षेत्ररक्षण खेल वे हैं, जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं। बल्लेबाजी टीम के लिए लक्ष्य एक वस्तु (गेंद) पर प्रहार करना होता है। क्षेत्र रक्षकों से बचकर व वस्तु (गेंद) सीमा रेखा के बाहर हो जाये तब स्कोरिंग हासिल होती है। क्षेत्ररक्षण टीम का लक्ष्य बल्लेबाजी टीम को रन बनाने से रोकना है।

:: उच्च प्राथमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, नेटबॉल, लॉन टेनिस, रग्बी, सॉफ्टबॉल, स्वचौश, टेबल-टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, क्रिकेट, नेटबॉल, योगा, आदि।

:: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, बॉली बिलिंग, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, नेटबॉल मल्लखंब, लॉन टेनिस, पैरा स्पोर्ट, रोलर स्केटिंग, रग्बी, स्कूल गेम्स, सॉफ्टबॉल, स्वचौश, टेबल-टेनिस, वॉलीबॉल, वेट-लिफ्टिंग, कुश्ती, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग, योगा, आदि।

4. खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु दिशा-निर्देश:-

विद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं की सफलता उनके उपयोग पर निर्भर करती है। इसके लिए खेल सामग्री एवं उपकरणों का उपयोग किये जाने की स्थिति में आवश्यक है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के लिए निम्न दिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:-

- खेल मैदानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
- पिच से पत्तियों, पत्थरों, कंकड़, फ्लेश, तेज वस्तुओं के टुकड़े निकालें।
- प्रतिदिन फर्श को स्वाइप करें; अगर यह एक सीमेंट का फर्श है।
- खेल मैदान में केवल अनुशांसित फुटवियर की अनुमति दे।
- खेल मैदान और आस-पास परिवेश की स्वच्छता बनाए रखें।
- उपकरणों की स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखें।
- समय-समय पर गोल पोस्ट, वॉलीबॉल पोल, बास्केटबॉल पोस्ट आदि के रखरखाव की जांच करें।
- पर्याप्त डस्टबिन रखें।
- वर्ष में कम से कम एक बार विशेष रखरखाव।
- जमीन का स्तर और ढलान ऐसा होना चाहिए जिसमें जल जमाव न हो।
- ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और जांच।
- पेशेवर मशीनरी के साथ विशेष ब्रशिंग (जैसे सीमेंट वाले फर्श के लिए)।
- सभी कृत्रिम उपकरणों के रख-रखाव के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
- यदि खेलने का स्थान पक्का है तो उसकी नियमित सफाई की जाए।
- खेल के दौरान स्वीकृत जूतों का उपयोग किया जाए।
- खेल सामग्री/उपकरणों की नियमित साफ-सफाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
- खेल गतिविधियों के दौरान उचित संख्या में कचरा पात्रों की व्यवस्था की जाए।
- खेल मैदान का लेवल एवं ढाल इस प्रकार होना चाहिए, जिससे जल भराव नहीं हो।

SKS

- खेल मैदान के आस-पास की जल निकासी व्यवस्था की जांच कर उसकी वर्ष में कम से कम एकबार आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाए।
 - ✓ विभिन्न प्रकार की गेंदों के लिये मानक वायुदाब
 - > फुटबॉल 0.6.1.1 वायुदाब (600.1,100g/cm²)
 - > बास्केटबॉल 3.17-4.0 वायुदाब (3170-4000g/cm²)
 - > वॉलीबॉल 0.30-0.325 वायुदाब (300-325g/cm²)
 - ✓ गेंदों का उपयोग किए जाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें
 - > गेंदों में हवा भरकर वायुदाब सही करना।
 - > गेंद में हवा भरने से पूर्व सुई को गीला करना।
 - > गेंद में धीरे-धीरे हवा भरने के साथ गेंद को दबाना।
 - > गेंद में एकसाथ तेजी से ज्यादा हवा भरने पर गेंद के अन्दर की ट्यूब/ब्लैडर खराब हो जाता है।
 - > गेंद में मशीन से हवा नहीं भरें क्योंकि इससे ज्यादा हवा भर जाने की संभावना बनी रहती है।
 - ✓ गेंदों का उपयोग किये जाने के पश्चात ध्यान देने योग्य बातें
 - > उपयोग पश्चात गेंद में से कुछ हवा निकाल देनी चाहिए, जिससे गेंद के अन्दर का वायुदाब कम हो जाए। हवा का दबाव कम नहीं करने पर गेंद का आकार एवं आकृति विरुपित हो सकती है।
 - > गेंद को पहले गीले एवं बाद में सूखे कपड़े से पोंछ कर साफ किया जाए।
 - ✓ गेंदों को सुरक्षित रखने हेतु ध्यान देने योग्य बातें
 - > गेंद को सीधे सूर्य की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, ना ही गर्म स्थान पर रखना चाहिए।
 - > गेंद को हवादार स्थान पर रखना चाहिए एवं नियमित रूप से हवा भरकर खेलने हेतु उपयोग किया जाए।
 - > खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का उपयोग नहीं होने पर भी यह आवश्यक है कि उनकी नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव किया जाए।

5. खेल मैदान में सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश:-

- खेल मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का उपयोग किया जाना, खिलाड़ियों को खेल के नियमों की जानकारी होना एवं खेल गतिविधियों को सुनियोजित प्रकार से योजना बनाकर संचालित किया जाना आवश्यक है। छात्र-छात्राओं को खेलने का सुरक्षित वातावरण देने के लिए खेल के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियाँ जिनके कारण दुर्घटना होना संभव है, का रिकॉर्ड रखना एवं खेल गतिविधि संचालित होने से पहले उपचारात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है। इन सुरक्षा नियमों की क्रियान्विति से खेल गतिविधियाँ सुरक्षित वातावरण में संचालित हो सकेंगी एवं खेल के दौरान छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
- 6. मॉनीटरिंग -
- विद्यालयों द्वारा स्पोर्ट्स ग्रान्ट की राशि का उपयोग नियमानुसार किये जाने एवं सामग्री की गुणवत्ता, लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक सीआरसी / यूसीईईओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय स्तर पर तीन सदस्य यथा सीबीईओ, एसीबीईओ, लेखा अधिकारी की समिति का गठन कर सीआरसी/यूसीईईओ द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग एवं विद्यालयों द्वारा क्रय की जा रही खेल सामग्री को लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे।
- जिला कार्यालय स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सम्बन्धित सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों द्वारा लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाते हुये क्रय की जा रही खेल सामग्री की कार्यवाही की विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग की समीक्षा करेंगे।
- किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लायी जायेगी। अतः खेल सामग्री की क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुये लेखा नियमानुसार कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय की जाये।

7. अन्य -

- सप्ताह में कम से कम एक कालांश खेल सम्बन्धी होना चाहिये।
- विभाग द्वारा आयोजित खेल गतिविधियों के आयोजन में राशि का उपयोग लिया जा सकता है।
- विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री के रख-रखाव, उपयोग में लिये जाने की स्थिति में बनाये रखने में राशि का उपयोग लिया जा सकता है।
- खेल सामग्री / उपकरण के रख-रखाव, भण्डार पंजिका का संधारण, खेलने योग्य खेल सामानों की उपलब्धता इत्यादि का दायित्व शारीरिक शिक्षक / प्रभारी शिक्षक द्वारा वहन किया जायेगा।

8. लेखा सम्बन्धी नियम :-

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विलक्ष्ण नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में 'राजस्थान लोक उपायन में पादरशिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

विशेष -

- वर्तमान में राज्य में सैकण्डरी की श्रेणी के समस्त विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्त्रत किये जा चुके हैं। किन्तु भारत सरकार से अनुमोदित की गयी पी०ए०बी० का आधार यू-डाइस 2021-22 है। अतः यू-डाइस 2021-22 में दी गयी विद्यालय श्रेणी के अनुसार ही राशि जारी की जानी है।
- परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

स्पोर्ट्स् ग्रान्ट

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम यू.डाइस कोड.....
स्पोर्ट्स् ग्रान्ट की प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में विद्यालय को राशि प्राप्त हुयी थी। विद्यालय को प्राप्त स्पोर्ट्स् ग्रान्ट की राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है।

क्र. सं.	माह का नाम	विल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	व र	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राजि पृष्ठा दिनांक		वि. वि.
									पृष्ठा	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

कार्यालय ब्लॉक जिला

**स्पोर्ट्स् ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण—पत्र (ब्लॉक स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023–24 में ब्लॉक जिला के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई स्पोर्ट्स् ग्रान्ट की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा स्पोर्ट्स् ग्रान्ट हेतु परिषद् से जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :—

क्रमं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उच्चावि/माध्यि/उच्चावि	स्पोर्ट्स् ग्रान्ट राशि			वि.पि.
				प्राप्त राशि	छ्या राशि	अविशेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीधीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

**स्पोर्ट्स् ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण—पत्र (जिला स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022–23 में जिला को स्पोर्ट्स् ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई तथा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

Costing Sheet - Sports Grant (Elementary) 2023-24


S.No.	District	Primary School	Primary School @ Rs. 5000	Upper Primary Schools	Upper Primary Schools @ Rs. 10000	Total School	Districtwise Total Fin. (Rs. in lacs)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	AJMER	674	33,70000	652	65,2000	1326	98,9000
2	ALWAR	1000	50,00000	1028	102,8000	2028	152,8000
3	BANSWARA	2252	112,60000	488	48,8000	2740	161,4000
4	BARAN	873	43,65000	410	41,0000	1283	84,6500
5	BARMER	2787	139,35000	1289	128,9000	4076	268,2500
6	BHARATPUR	637	31,85000	576	57,6000	1213	89,4500
7	BHILWARA	1380	69,00000	926	92,6000	2306	161,6000
8	BIKANER	1115	55,75000	460	46,0000	1575	101,7500
9	BUNDI	608	30,40000	374	37,4000	982	67,8000
10	CHITTAURGARH	773	38,65000	634	63,4000	1407	102,0500
11	CHURU	376	18,80000	517	51,7000	893	70,5000
12	DAUSA	728	36,40000	450	45,0000	1178	81,4000
13	DHAULPUR	543	27,15000	305	30,5000	848	57,6500
14	DUNGARPUR	1827	91,35000	449	44,9000	2276	136,2500
15	GANGANAGAR	878	43,90000	577	57,7000	1455	101,6000
16	HANUMANGARH	316	15,80000	411	41,1000	727	56,9000
17	JAIPUR	1571	78,55000	1205	120,5000	2776	199,0500
18	JAISALMER	777	38,85000	318	31,8000	1095	70,6500
19	JALOR	937	46,85000	538	53,8000	1475	100,6500
20	JHALAWAR	756	37,80000	602	60,2000	1358	98,0000
21	JHUNJHUNU	495	24,75000	514	51,4000	1009	76,1500
22	JODHPUR	1961	98,05000	853	85,3000	2814	183,3500
23	KARAULI	729	36,45000	387	38,7000	1116	75,1500
24	KOTA	366	18,30000	406	40,6000	772	58,9000
25	NAGAUR	1340	67,00000	935	93,5000	2275	160,5000
26	PALI	623	31,15000	710	71,0000	1333	102,1500
27	PRATAPGARH (RAJ)	1197	59,85000	312	31,2000	1509	91,0500
28	RAJSAMAND	875	43,75000	543	54,3000	1418	98,0500
29	SAWAI MADHOPUR	459	22,95000	320	32,0000	779	54,9500
30	SIKAR	660	33,00000	687	68,7000	1347	101,7000
31	SIROHI	521	26,05000	241	24,1000	762	50,1500
32	TONK	665	33,25000	505	50,5000	1170	83,7500
33	UDAIPUR	2855	142,75000	829	82,9000	3684	225,6500
TOTAL		33554	1677.70000	19451	1945.1000	53005	3622.8000

Costing Sheet - Sports Grant (Secondary) 2023-24

S.No.	District	Secondary Schools	Secondary Schools @25000	Sr. Secondary Schools	Senior Secondary Schools @25000	Total School	Districtwise Total Fin. (Rs. in lacs)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	AJMER	151	37,7500	383	95,7500	534	133,5000
2	ALWAR	191	47,7500	614	153,5000	805	201,2500
3	BANSWARA	84	21,0000	378	94,5000	402	115,5000
4	BARAN	48	12,0000	264	66,0000	312	78,0000
5	BARMER	203	50,7500	525	131,2500	728	182,0000
6	BHARATPUR	123	30,7500	437	109,2500	560	140,0000
7	BHILWARA	123	30,7500	458	114,5000	581	145,2500
8	BIKANER	114	28,5000	341	85,2500	455	113,7500
9	BUNDI	65	16,2500	216	54,0000	281	70,2500
10	CHITTAURGARH	78	19,5000	335	83,7500	413	103,2500
11	CHURU	183	45,7500	336	84,0000	519	129,7500
12	DAUSA	99	24,7500	290	72,5000	389	97,2500
13	DHAULPUR	96	24,0000	195	48,7500	291	72,7500
14	DUNGARPUR	71	17,7500	335	83,7500	406	101,5000
15	GANGANAGAR	103	25,7500	387	96,7500	490	122,5000

Costing Sheet - Sports Grant (Secondary) 2023-24

S.No.	District	Secondary Schools	Secondary Schools @25000	Sr. Secondary Schools	Senior Secondary Schools @25000	Total School	Districtwise Total Fin. (Rs. in lacs)
A	B	C	D	E	F	G	H
16	HANUMANGARH	72	18.0000	297	74.2500	369	92.2500
17	JAIPUR	271	67.7500	724	181.0000	995	248.7500
18	JAISALMER	42	10.5000	156	39.0000	198	49.5000
19	JALOR	89	22.2500	309	77.2500	398	99.5000
20	JHALAWAR	40	10.0000	290	72.5000	330	82.5000
21	JHUNJHUNU	165	41.2500	375	93.7500	540	135.0000
22	JODHPUR	182	45.5000	555	138.7500	737	184.2500
23	KARAULI	73	18.2500	254	63.5000	327	81.7500
24	KOTA	82	20.5000	241	60.2500	323	80.7500
25	NAGAUR	217	54.2500	551	137.7500	768	192.0000
26	PALI	131	32.7500	374	93.5000	505	126.2500
27	PRATAPGARH (R)	35	8.7500	179	44.7500	214	53.5000
28	RAJSAMAND	55	13.7500	255	63.7500	310	77.5000
29	SAWAI MADHOP	72	18.0000	242	60.5000	314	78.5000
30	SIKAR	201	50.2500	446	111.5000	647	161.7500
31	SIROHI	51	12.7500	189	47.2500	240	60.0000
32	TONK	68	17.0000	276	69.0000	344	86.0000
33	UDAIPUR	163	40.7500	591	147.7500	754	188.5000
TOTAL		3741	935.2500	11798	2949.5000	15539	3884.7500


 (डॉ मोहन लाल यादव)
 आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/वै.शि./स्पोर्ट्स/दिशा-निर्देश/2023-24/ 1840

दिनांक:- 13/6/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- विशिष्ट सहायक, शिक्षामंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, राज्य शिक्षामंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायें।
- निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल ब्लॉक 6, जयपुर।
- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त उपायुक्त, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- समस्त पीईईओ / यूसीईईओ
- सचिव, एसएमसी/एसडीएमसी समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।